

02.11.11

25.04.17

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष अनुपस्थित है। द्वितीय पक्ष के अनुपस्थित सदस्य की ओर से प्रतिनिधित्व दे शक्ति दी गई है।

अभिलेख दिनांक 16.05.17 को एवं।

16.05.17

अभिलेख उपस्थापित। द्वितीय पक्ष के अनुपस्थित सदस्यों की ओर से प्रतिनिधित्व दे शक्ति दी गई है। उक्त वाद में प्रथम पक्ष की मृत्यु हो चुकी है एवं वाद की समाप्ति समाप्त हो चुकी है। अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

अनु 205A

18.11.1

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष अनुपस्थित है। द्वितीय पक्ष के अनुपस्थित सदस्यों की ओर से प्रतिनिधित्व दे शक्ति दी गई है।

16/05/17

07.12.1

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष अनुपस्थित है। द्वितीय पक्ष के अनुपस्थित सदस्यों की ओर से प्रतिनिधित्व दे शक्ति दी गई है।

23.12.1

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष अनुपस्थित है। द्वितीय पक्ष के अनुपस्थित सदस्यों की ओर से प्रतिनिधित्व दे शक्ति दी गई है।